MUMBAI
NEWS PAPER Navbharat Times DATE 11/06/2024

दायित्व गौ सेवा सम्मेलन में गौरक्षकों एवं गौसेवकों का स्वागत, गौसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का आयोजन

गायों की सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी

■ भगवती मिश्र @ नवभारत.

मुंबई गौरक्षा और संरक्षण का दायित्व पूरे समाज की जिम्मेदारी है. भारतीय संस्कृति में गो पूजा का विशेष महत्व है. गोवंश रक्षा और संरक्षण के लिए समाज को जागरूक होना चाहिए. माता तुल्य गायों की सेवा करने से पुण्य मिलता है. केंद्र और प्रदेश सरकार ने गोवंशों को संरक्षण और संवर्धन देने, गोवंश हत्या रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए, पशु आश्रय स्थल बनवाए और गोवंश हत्या कानून को सख्त किया. फिर भी गायों की तस्करी जोर-शोर से की जा रही है. गायों को बचाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए. कांदिवली पश्चिम में हाल ही में आयोजित गायों की सुरक्षा सम्मेलन में वक्ताओं ने उक्त विचार व्यक्त किए. कांदिवली (प.) स्थित श्री हालाई लोहाना बालाश्रम में गौसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित गौसेवा सम्मेलन में गौरक्षकों और गौसेवकों का स्वागत किया गया. संचालन धीरज भाई छेड़ा (एकलवीर) ने किया. महाराष्ट्र में जगह-जगह गौसेवा चेरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख में गायों के लिए गौशाला बनाए गए हैं और गौ सेवकों द्वारा सुचारू रूप से देखभाल किया जा रहा है.

गायों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानूनः गौसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से विहिप के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गायों को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं. ट्रस्ट ने कोर्ट में पेंडिंग केस लड़ने के लिए गौ रक्षक वकील राजू गुप्ता को भी नियुक्त किया है.

गायों को बचाने नहीं था कानून

गुप्ता बताते है कि 2014 से पहले गायों को कत्लखानों से बचाने के लिए भारत में कोई कानून नहीं था और गायों का कत्ल खुलेआम की जा रही थी. 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा में पहली बार गौ रक्षा के कानून पास हुए. कानून बनने के बाद भी गायों की तस्करी जारी थी. गायों को बचाने के लिए ट्रस्ट ने मुहिम चलाया और लोगों को जागरूक किया. गायों को कत्लखानों में ले जाने वाले वाहनों को पकड़ कर पुलिस स्टेशन में जमा करने का काम गौ सेवक कर रहे हैं और आजाद गायों की सेवा गौशाला में की जा रही है. गौ तस्करी में लिप्त वाहन को छुड़ाने में भी वाहन मालिकों को पसीना आ रहा है. अब कोर्ट फैसला देते समय दंड भी लगा रहा है और दंड सीधे गौशाला के बैंक खाते में ट्रांसफर करने का आदेश दे रहा है. इससे गौ तस्करी में लिप्त वाहन मालिकों पर दोहरी मार पड़ रही है.

गौसेवकों को पुलिस का सहयोग नहीं

महाराष्ट्र के वाड़ा, लातूर सहित मराठवाड़ा क्षेत्र में विहिप और बजरंग दल के माध्यम से कत्लखानों में जा रही गायों को बचाने का कार्य किया जा रहा है. गौ सम्मेलन में गौरक्षकों ने भी अपना दुःख दर्द बयां किया. नांदेड़ के गौरक्षक और गौशाला संचालक किरण बिछेवार ने गौरक्षा के कठिन कार्य की बारीकियों को सबके समक्ष प्रस्तुत किया. बिछेवार ने बताया कि गौ तस्करों के साथ पुलिस की सांठगांठ रही है. यदि हम लोग कत्लखानों में जा रही गायों को बचाने का प्रयास करते हैं तो पुलिस सहयोग नहीं करती है. पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को ही इसने-धमकाने का काम करती है, लेकिन हम लोग कानून के दायरे में ही रह कर गायों को बचाने का काम कर रहे हैं.

'गौमंगल आर्गेनिक्स' किसानों के लिए वरदान

इसी प्रकार भिंवड़ी, वाडा, नाशिक, अमरावती सहित अन्य स्थानों से आए गौरक्षकों ने भी अपना दुःख-दर्द लोगों के समक्ष रखा. ट्रस्ट ने गायों के मूत्र और गोबर से 'गौमंगल आर्गेनिक्स' नामक खाद का भी निर्माण किया है. किसानों के लिए 'गौमंगल आर्गेनिक्स' वरदान बन रहा है. वाडा के किसान अनिल पाटिल ने बताया कि खेती के लिए किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. रासायनिक खाद से पैदावारी अच्छी होती थी, लेकिन खेत बंजर हो रहे थे. 'गौमंगल आर्गेनिक्स' खाद के इस्तेमाल से पैदावार अच्छी हो रही और किसानों की जमीन को भी नुकसान नहीं हो रहा है. वाडा के साथ-साथ लातूर, मराठवाडा में अधिकांश किसान 'गौमंगल आर्गेनिक्स' का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रति एकड़ वार्षिक आमदनी एक से डेढ़ लाख रुपए तक हो रही है.

गौवंश आधारित कृषि पर मार्गदर्शन

सम्मेलन में गौ रक्षक वकील राजू गुप्ता, यतीन्द्र जैन, गौरक्षक व गौशाला संचालक किरण बिछेवार ने गौरक्षा के कठिन कार्यों को बारीकियों से प्रस्तुत किया. गौरक्षा, गौसेवा, गौपालन, गौवंश दत्तक योजना, गौवंश आधारित कृषि, गोचर भूमि आदि विषयों पर भी वक्ताओं द्वारा मार्गदर्शन किया गया. गौशालाओं द्वारा गौवंश की अच्छी सेवा हो, इस उद्देश्य से गौवंश दत्तक लेकर गौवंश की प्रत्यक्ष सेवा के लाभार्थियों के नामों की घोषणा की गई.